न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 40/2018

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भेराराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी बीरावास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. रियाज पुत्र सबीर हसन 2. मेहबूब पुत्र सबीर हसन 3. मजफर उफ मुजफर पुत्र सबीर हसन जातियान मसलमान निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बंध जसवन्त सागर तहसील बिलाडा जिला जाधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि रियाज, मेहब्ब,मजफर उफ मुजफर पिसरान सबीर हसन जातियान मुसलमान निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाडा की 2/9 हिस्से की खातेदारी की थी। खातेदार रियाज,महबूब,मजफर उफ मुजफर ने खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा में से 2/9 हिस्से की भूमि का बैचाननामा दिनांक 09.12. 1998 को वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। जब वादी न विवादित भूमि को खरीद किया, उस समय उसने भूलव"ा या त्रुटिव"ा अपने पिता का नाम f"ावराम बैचाननामा में लिखवा दिया, जबकि वादी क पिता का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनका वास्तविक नाम श्रीराम है। वादी अभी दिनांक 07.05.2018 को अपनी कृषि भ्मि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज कराने हेतु न्याय आपके द्वार f"ाविर कम्प पिचियाक में गया और तहसीलदार बिलाडा के समक्ष निवेदन किया कि गैर खातेदारी से खातेदारी भ्मि दर्ज की जावे, जिसके साथ अपना पहचान पत्र आधारकार्ड, जमाबन्दी आदि पे"ा किये, जिस पर तहसीलदार दस्तावेजों में आपके पिता का नाम श्रीराम लिखा हुआ ह तथा जमाबन्दी में आपके पिता का नाम f"ावराम लिखा हुआ है। आप पहले अपने पिता के नाम की शुद्धि कराओ, उसके बाद गैर खातेदारी से खातेदारी की कायवाही होगो, जिस पर वादी ने बैचानकर्ता प्रतिवादी सं. 1 से3 रियाज, महबूब, मजफर उर्फ मुजफर के घर पर जाकर सम्पर्क किया और राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कराने का निवेदन किया, जिस पर उन्होंने करान से मना कर दिया, इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड में अपने पिता f"ावराम के स्थान पर श्रीराम नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु यह दावा पेश कर रहा है। वादी के पिता f"ावराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:32 IST
Reason: SelfAttested

श्रीराम एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा का”त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भमि खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बिघा 06 बिस्वा में से 2/9 हिस्सा की खातदारी के विरूद्ध तसहीलदार या अन्य किसो के किसी के न्यायालय में कही कोई आपति,एतराज या अपील ,रिवीजन आदि पे”ा नहीं की है। वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में ि”ावराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवा सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है। वादी न जब भूमि का खरीद किया तब बैचाननामा दस्तावेज दिनांक 09.12.1998 में वादी के पिता का नाम श्रीराम के बजाय ि”ावराम नाम गलत अकित कर दिया गया, जो एक मानवीय भल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिये दुरूस्त किया जाना आव”यक है। वाद कारण वादी न दिनांक 07.05.2018 का विवादित भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज कराने पर तहसीलदार बिलाडा के समक्ष गया तो तहसीलदार बिलाडा न राजस्व रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने हतु का कहने पर और वादी ने प्रतिवादी सं.1,2,3 से सम्पर्क कर रेकर्ड में शुद्धि कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सं. 1,2,3 द्वारा रेकड में शुद्धि का इन्द्राज दरूस्त कराने से मना कर दिया, इस कारण वादी को वाद कारण ग्राम बंध जसवन्त सागर तहसील बिलाडा में पदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वाद पे”ा कर निवेदन किया कि ग्राम बंध जसवन्त सागर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा में से 2/9 हिस्से के राजस्व रेकर्ड में भैराराम पुत्र ि”ावराम के स्थान पर भराराम पुत्र श्रीराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कराये जाने का आदे”ा फरमाव।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल पे”ा हुए।प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किया गया और बार बार रूक रूक कर आवाजे लगवायो गयी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से काई अधिवक्ता एवं स्वयं उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध तारीख पे”ाी दिनांक 28.05.2019 को एकपक्षीय कायवाही अमल मं लायी गयो। प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार ने जवाब पे”ा किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बन्ध जसवन्त सागर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 24–06 बीघा सयुक्त खातेदारी में रियाज,मेहबूब,मजफर उर्फ मुजफर पुत्र सबोर हसन के 2/9 हिस्से की भूमि का बैचाननामा दिनांक 09.12.1998 को वादी भैराराम पुत्र श्रीराम के पक्ष में निष्पादन हुआ है। ग्राम बंधजसवन्तसागर के नामा स. 875 में ख.नं. 93 रकबा 24.06 बीघा के 2/9 हिस्से में खरीददार का भैराराम पुत्र ि”ावराम जाति जाट सा. बिरावास दर्ज है।राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम भेराराम पुत्र ि”ावराम दर्ज है। अतः जवाब प्राथना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बंध जसवन्त सागर तहसील बिलाडा की सरहद म ख.नं. 93 रकबा 24.06 बीघा में 2/9 हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में जरिये बैचाननामा भराराम पुत्र ि”ावराम के स्थान भैराराम पुत्र श्रीराम किये जाने की मांग वादी द्वारा की गई है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कायवाही हा जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव”यकता नहीं रही। इस कारण वादी का शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे”ा किया। वादी ने दस्त[illegible]क्ष्य के रूप में प्रद”ा 1 पहचान पत्र श्रीराम पुत्र गुलाराम, प्रद”ा 2 [illegible] श्रीराम, प्रद”ा 3 आधारकार्ड भैराराम, प्रद”ा 4 बैचाननामा बहक, प्रद”ा 5 ज[illegible] रेकार्ड श्रीराम आदि पे”ा किये। इन सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:32 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलाकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम भैराराम पुत्र श्रीराम दर्ज किया हुआ है, राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी भैराराम पुत्र f"ावराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम भैराराम पुत्र श्रीराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बन्ध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 93 रकबा 24बोघा 06 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भैराराम पुत्र f"ावराम के स्थान पर भैराराम पुत्र श्रीराम की घोषित को जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा का आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुदा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:32 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.**

वादी बनाम प्रतिवादी

भेराराम पुत्र श्रीराम
जाति जाट निवासी
बीरावास, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. रियाज पुत्र सबीर हसन
2. मेहबूब पुत्र सबीर हसन
3. मजफर उफ मुजफर पुत्र सबीर हसन जातियान मसलमान निवासीगण पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 40/2018

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही,प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बंध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 93 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भैराराम पुत्र f"ावराम के स्थान पर भैराराम पुत्र श्रीराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकोल		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:32 IST
Reason: SelfAttested